भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर‍ शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्या : 1136

उत्तर देने की तारीख : 16 दिसम्‍बर, 2013

**केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति**

**1136. श्री अली अनवर अंसारीः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अपनाई जाने वाली आरक्षण नीति क्या है;

(ख) वर्तमान में प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में रिक्त पदों की पद-वार और विश्वविद्यालय-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे गए सभी पदों में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को लागू किया गया है;

(घ) किस तिथि से आरक्षित पदों के बकाया/कम पदों को परिगणित किया गया है और इसे आरक्षण के लागू होने की तिथि अर्थात अगस्त 1993 से परिगणित नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कॉलेजों में प्राचार्य नियुक्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई नीति है; और

(च) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍यमंत्री**

**(डा. शशि थरूर)**

(क): विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जो देश में उच्‍चतर शिक्षा के अनुरक्षण एवं समन्‍वय के लिए शीर्ष निकाय है, दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय सहित सभी केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों को शिक्षण तथा शिक्षणेत्‍तर पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्‍य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्‍वयन के लिए निर्धारित मानदण्‍डों का सख्‍ती से पालन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के स्‍तर पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमश: 15 और 7½ प्रतिशत पद, तथा सहायक प्रोफेसर स्‍तर पर 27 प्रतिशत पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। शिक्षणेत्‍तर पदों के लिए समूह 'क' और 'ख' पदों के स्‍तर पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा ओबीसी के लिए क्रमश: 15, 7½ और 27% पद आरक्षित होते हैं। संबंधित राज्‍य सरकारों की आरक्षण नीति के अनुसार समूह 'ग' पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी के लिए आरक्षण की प्रतिशतता लागू है।

(ख): सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग): जी, हां। स्थिति उक्‍त (क) में स्‍पष्‍ट की गई है।

(घ): ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की बैकलाग/कमी, शिक्षण पदों हेतु 24.01.2007 से और शिक्षणेत्‍तर पदों के समूह 'क' तथा 'ख' के लिए 08.09.1993 से गणना की गई है। शिक्षणेत्‍तर पदों के समूह 'ग' के लिए बैकलाग/कमी की गणना संबंधित राज्‍य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार की जाती है।

(ड.) और (च): चूंकि कॉलेज के प्राचार्य का पद एकल पद ही होता है, अत: ये आरक्षण के दायरे में नहीं आता है।

\*\*\*\*\*